प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 110/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 1 नवंबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज बेसिक टेलीफोन सेवाएं (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं – सेवाओं की गुणवत्ता के मानक (सातवां संशोधन) विनियम 2019 (2019 का 8) अधिसूचित किया है, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क में कॉल्ड पार्टी के लिए कॉल अलर्ट की अवधि को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया है। यह विनियम भादूविप्रा की वेबसाइट https://trai.gov.in/release-publication/regulations पर उपलब्ध है। ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों से लागू हो जाएंगे।

2. हाल ही में, प्राधिकरण को सूचित किया गया था कि एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) ने अन्य नेटवर्क में कॉन्फ़िगर किए गए समय की तुलना में अलर्ट की अवधि कम की है और इससे ग्राहक के अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी ध्यान में लाया गया था कि अनुत्तरित कॉल को रिलीज करने के लिए प्रभावी नियंत्रण, आमतौर पर समापन नेटवर्क पर निर्भर करता है मगर कॉल के प्रारंभिग बिंदु पर अवधि को कम करने से यह नियंत्रण प्रारंभिक छोर पर शिफ्ट हो गया है और उन नेटवर्क पर कॉल जल्दी रिलीज हो रही है, जिनके लिए समापन नेटवर्क पर अधिक अवधि निर्धारित की हुई है। यह सूचित किया गया है कि इसके कारण ऐसी कॉल्स की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो कॉल्ड पार्टी द्वार अलर्ट के लिए जवाब नहीं देने के आधार पर रिलीज नहीं की जाती हैं मगर प्रारंभिक नेटवर्क पर कॉल रिलीज हो जाती है।

3. भादूविप्रा ने 16.09.2019 को परामर्श पत्र जारी करके 'कॉल्ड पार्टी के लिए अलर्ट की अवधि' पर सार्वजनिक परामर्श शुरू किया था। लिखित टिप्पणियों (10 टिप्पणियों) और 17.10.2019 को आयोजित खुला मंच चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद इन विनियमों को अधिसूचित किया जा रहा है।

4. इन संशोधनों के लागू होने के बाद, पहुंच प्रदाता को ऐसी इनकमिंग वॉइस कॉल के लिए अलर्ट की समयावधि को सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए तीस सेकंड और बेसिक टेलीफोन सेवा के लिए साठ सेकेंड्स बनाए रखनी होगी, जिसके लिए कॉल्ड पार्टी द्वारा न तो जवाब दिया जाता है और न ही इसे पार्टी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है, सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में तीस सेकंड की समाप्ति और बेसिक टेलीफोन सेवा के मामले में साठ सेकंड की समाप्ति पर, समापन नेटवर्क, इनकमिंग वॉइस कॉल को रिलीज करेगा और प्रारंभिक नेटवर्क पर कॉल रिलीज संदेश भेजेगा। हालाँकि, समापन नेटवर्क से कॉल रिलीज संदेश प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नब्बे सेकेंड के बाद प्रारंभिक नेटवर्क अनुत्तरित कॉल को रिलीज कर सकता है।

5. किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से ईमेल आईडीः advgos@) trai.gov.in यो टेलीफ़ोन नंबरः +91–11–23230404 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।